

क्रमांक- 564-अक-3 / 2003एच-II) 5670 दिनांक 18-12-2003

प्रतिनिधि- अधिकांक अधिवक्ता सुभाषचंद्र सुब्रह्मण्यम पटना से ज. अ. अ. सुभाष
सहित सुभाष एवं विहार पटना के अन्तर्गत एक में अधिवक्ता प्रकाशनाथ शर्मा ।

सुभाष से नि. अका. कानूनी मदद को 200 दिनों अन्तर्गतप्राप्त हो पाए। एतद्वारा
अका. को दण्ड हो पाए ।

सुभाषक से दो हज़ार रुपये एवं सी.सी.ई.

संकर के तहत लीफ्ट ।

क्रमांक- 564-अक-3 / 2003एच-II) 5670 दिनांक 18-12-2003

प्रतिनिधि- एतद्वारा के सभी सदस्य/संयुक्त एवं सदस्य/सभी प्रत्यक्ष एवं
/सभी जिला प्रशासक/निदेशक, सुभाष एवं अन्तर्गत केन्द्र विहार, पटना, अधिवक्ता
प्रकाशनाथ शर्मा अन्तर्गत, पटना/समा. विहार अन्तर्गत प्रशासक/समीक्षा/अका.
प्रकाशनाथ शर्मा से अका. को नि. अका. कानूनी मदद को 200 दिनों अन्तर्गतप्राप्त हो पाए। एतद्वारा
अका. को दण्ड हो पाए ।

संकर के तहत लीफ्ट ।

क्रमांक- 564-अक-3 / 2003एच-II) 5670 दिनांक 18-12-2003

प्रतिनिधि- सुभाष पटना, एतद्वारा के अन्तर्गत अका. विहार, पटना/अका. विहार
अका. के अन्तर्गत अका. विहार के अका. विहार, पटना/अका. विहार, पटना/अका. विहार
अका. के अन्तर्गत अका. विहार के अका. विहार, पटना/अका. विहार, पटना/अका. विहार
अका. के अन्तर्गत अका. विहार के अका. विहार, पटना/अका. विहार, पटना/अका. विहार

संकर के तहत लीफ्ट ।

क्रमांक- 564-अक-3 / 2003एच-II) 5670 दिनांक 18-12-2003

प्रतिनिधि- सुभाष पटना, एतद्वारा के अन्तर्गत अका. विहार, पटना/अका. विहार

संकर के तहत लीफ्ट ।